



2026:AHC-LKO:4698-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 550 सन 2026

बीना गुप्ता एवं 2 अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव शहरी विकास विभाग,
लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	निलय गुप्ता, अजय रावत
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, राम कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. सुनवाई हुई।
2. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने ग्राम परगना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव में स्थित उनकी भूमिधारी भूमि (गाटा संख्या 1064) पर अवैध अतिक्रमण किया है। प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता का कहना है कि उनकी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस को पहले ही शिकायत/सूचना दे दी है, क्योंकि उनके अनुसार, प्रतिवादी संख्या 4 और उनके अधिकारियों/कर्मचारियों ने उनकी भूमि पर मौजूद कुछ खंभों आदि को ध्वस्त कर दिया है। यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त गाटा की सीमांकन हेतु याचिकाकर्ताओं की ओर से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा मत है कि जब भी उपर्युक्त गाटा की सीमाओं का सीमांकन होगा, तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि अतिक्रमण हुआ है या नहीं और तदनुसार, राजस्व अधिकारी कानून के अनुसार मामले का निस्तारण कर सकते हैं, लेकिन हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, विशेषकर जब तथ्य के विवादित प्रश्न शामिल हों।

4. उपरोक्त अवलोकन के साथ, याचिकाकर्ताओं को कानून में निर्धारित उपायों का पालन करने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है।

जनवरी 21, 2026

-पीयूष-

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।